भारत सरकार के अधिकारी अंग्रेजी के गुलाम क्यों हैं ?

माननीय श्री राजीव गौबा

सचिव, मंत्रिमंडल,

मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय,

नई दिल्ली 110004

संदर्भ- स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रेषित 8 मार्च की शिकायत DHLTH/E/2020/01519, राजभाषा विभाग को प्रेषित शिकायत 16 मार्च और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित शिकायत PMOPG/E/2020/0127172

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर किरीट विषाणु (कोरोना विषाणु) से संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाएँ केवल अंग्रेजी में जारी किए जाने व भाषाई आधार पर आम नागरिकों से भेदभाव करने के विरुद्ध लोक शिकायत

महोदय,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर किरीट विषाणु (कोरोना विषाणु) से संबंधित सभी सूचनाएँ केवल अंग्रेजी में दी गई हैं और नवीनतम् सूचनाएँ भी केवल अंग्रेजी में दी जा रही हैं जिसके कारण अंग्रेजी न जानने वाले 97 प्रतिशत भारतीय नागरिकों के बीच गलत सूचनाएँ व अफवाहें फैल रही हैं, हिन्दी के अखबार व टीवी चैनल गलत अनुवाद को प्रसारित कर रहे हैं। भारत की राजभाषा हिन्दी है पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी हिन्दी का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं।

1. किरीट विषाणु (कोरोना विषाणु) से संबंधित मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, परामर्श-पत्र व दस्तावेज केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं।

2. यात्रा परामर्श अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं।

3. मंत्रालय की अंग्रेजी वेबसाइट पर किरीट विषाणु से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें का एकमात्र पोस्टर व परीक्षण कब करवाएँ हिन्दी में उपलब्ध करवाया गया है।

4. मंत्रालय की हिन्दी वेबसाइट पर किरीट विषाणु संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, यहाँ तक की उक्त हिन्दी पोस्टर भी हिन्दी वेबसाइट पर नहीं डाला गया है।

5. हेल्पलाइन ईमेल ncov2019@gmail.com पर भी अधिकारी आम नागरिकों द्वारा हिन्दी में लिखे गए ईमेल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।

क्या जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वे लोग किरीट विषाणु से संक्रमित नहीं होंगे इसलिए मंत्रालय के अधिकारी केवल अंग्रेजी में सूचनाएँ जारी कर रहे हैं ?

किरीट विषाणु की महामारी से बचने के लिए जानकारी होना व सावधानी बरतना ही बचाव है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय आम जनता की चिंता नहीं कर रहा है बल्कि अंग्रेजी जानने वालों की चिंता कर रहा है। यह सरासर भाषाई आधार पर भेदभाव है, जिसे तुरंत रोकने की आवश्यकता है।

इस संबंध में मैंने मंत्रालय को ईमेल भेजे हैं व लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है पर उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि मामला गंभीर है और उस पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है अतः आपके द्वारा त्वरित निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं इस संबंध में 7 मार्च 2020 से कई ईमेल स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज चुकी हूँ, राजभाषा विभाग को ईमेल भेज चुकी हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल जी के पीपीएस श्री डी. जीवराज जी से भी बात की जा चुकी है पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई इसलिए यह शिकायत आपको भेज रही हूँ।

आशा है आप भी नहीं चाहेंगे कि केवल अंग्रेजी में होने के कारण देश के करोड़ों लोगों तक गलत सूचनाएँ पहुँचें और वे अफवाहों के शिकार होकर महामारी की भयावहता को और बढ़ाएँ।

आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए जाने की आशा करती हूँ।

भवदीय

श्रीमती विधि प्र. जैन

सी-32, स्नेहबंधन सोसाइटी, भूखंड-3, प्रभाग 16, वाशी, नवी मुंबई 400703 (भारत)

प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

2. सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

3. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, भारत सरकार, नई दिल्ली

अंग्रेजी वेबसाइट पर आधिकारिक सूचनाएँ

· भारत सरकार

· GOVERNMENT OF INDIA

national emblemस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयMINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFAREस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागDEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

Novel Corona Virus swach bharat

Novel Corona Virus

The Helpline Number for corona-virus : +91-11-23978046

The Helpline Numbers of States & Union Territories for corona-virus

The Helpline Email ID for corona-virus : ncov2019[at]gmail[dot]com

Guidelines to States/UTs for quarantine

Advisory – Social Distancing New

1. Total number of passengers screened at airport : 12,76,046

2. Total number of confirmed COVID 2019 cases across India * : 114

(including foreign nationals, as on 16.03.2020 at 04:00 PM)